

केन्द्रीय सूचना आयोग  
द्वितीय तल, अगस्त क्रांति भवन  
भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली - 110066.

\*\*\*\*\*

प्रथम अपील सं. CICOM/A/2018/60019  
संदर्भ संचिका सं. CICOM/R/2018/50074

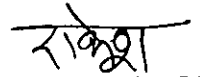
दिनांक: 15.02.2018

अपीलकर्ता : श्री अभय कुमार,  
के-567, मंगोलपुरी,  
नई दिल्ली - 110083.  
मो0 - 7532090902.

निर्णय की तारीख: 15.02.2018

|                                              |                   |
|----------------------------------------------|-------------------|
| ऑनलाइन आर.टी.आई. आवेदन की तिथि               | 01.02.2018        |
| आर.टी.आई. के तहत सूचना प्रदान करने की तिथि   | 02.02.2018        |
| प्रतिउत्तर देने वाले जन सूचना अधिकारी का नाम | श्री ए. के. शर्मा |
| ऑनलाइन प्रथम अपील दाखिल करने की तिथि         | 12.02.2018        |

- अपीलकर्ता ने ऑनलाइन आर.टी.आई. आवेदन के माध्यम से इक्कीस बिंदुओं पर सूचनाएं मांगी थी, जिसके प्रतिउत्तर में श्री ए. के. शर्मा, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, आर.टी.आई. प्रकोष्ठ द्वारा प्रदान की गई सूचना के विरुद्ध अपीलकर्ता ने प्रथम अपील दाखिल की है। प्रथम अपील आवेदन में अपीलकर्ता ने उल्लेख किया है कि उन्हें केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा संतोषजनक उत्तर नहीं मिला है, अतः सही जानकारी की प्रमाणित प्रतियाँ प्रदान करने का निर्देश दें।
- संबंधित संचिका (प्रथम अपील आवेदन एवं आर.टी.आई. आवेदन) का अवलोकन करने पर पाया गया कि श्री ए. के. शर्मा, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, आर.टी.आई. प्रकोष्ठ द्वारा प्रदान की गई सूचना बिल्कुल तथ्यानु रूप है तथा इसमें प्रथम अपीलीय अधिकारी के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है।
- तदुसार अपील निस्तारित की जाती है।
- प्रस्तुत संदर्भ में अपीलकर्ता यदि इस आदेश/निर्णय से संतुष्ट न हों तो अधिनियम की धारा 19(3) के अंतर्गत द्वितीय अपील इस आदेश की प्राप्ति के 90 दिनों के अंदर केन्द्रीय सूचना आयोग, बाबा गंग नाथ मार्ग, मुनिरका, नई दिल्ली - 110067 में की जा सकती है।



(आर. के. सिंह)

अपर सचिव एवं

प्रथम अपीलीय अधिकारी

दूरभाष - 011-26162290

प्रतिलिपि :

- श्री ए. के. शर्मा, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, आर.टी.आई. प्रकोष्ठ, केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली।